न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5 / 2013	4.1.2013	29.9.2025

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. रामाधार पुत्र मांग्या, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. रामभरोसी पुत्र फैलू, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. रामलाल पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. कालू पुत्र नानगा, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. मूल्या पुत्र रामहेत, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुरसिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थितः— नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 मुताविक जमाबंदी सं0 2067—2070 रामाधार पुत्र मांग्या, जाट निवासी टोकसी के नाम खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मकानात का निर्माण कर लिया है। ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू—परिवर्तन कराए आबादी का निर्माण किया है जो अवैधानिक है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के अकृषि कार्य में उपयोग किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 को कब्जा राज लिया जाने एवं मौके से बेदखल किए जाने तथा भूमि को सिवायचक किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वाद पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी 2067 से 2070, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है एवं बयान [illegible] कराए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने के कारण प्रार्थी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 ग्राम टोकसी को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लेने के कारण इस नम्बर की भूमि को सिवायचक किए जाने का वाद पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे एवं भूमि का कब्जा राज्य सरकार को संभलाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 ग्राम टोकसी के अनुसार भूमि ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के आबादी का निर्माण कर लेने के कारण टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत इस भूमि को सिवायचक घोषित किए जाने एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलाए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण ने इसका कोई जबाब नहीं दिया है एवं वे बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय एवं डिक्री की प्रतिलिपि पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. रामाधार पुत्र मांग्या, जाट निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. रामभरोसी पुत्र फैलू, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. रामलाल पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. कालू पुत्र नानगा, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. मूल्या पुत्र रामहेत, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुरसिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं. –5/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 1294 रकबा 0.21 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.9.2025 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)